मेयर-इन कौसिंल संकल्प क्रमांक. 747 दिनांक. 28/2/2013

गत सभा दिनांक 12/2/2013 के कार्यवृत की पुष्टि की जाती

है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-कौसिंल
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.................... दिनांक.............................

प्रतिलिपीः-

1- आयुक्त
2- रेसीडेन्ट आडिट
3- सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
4- लोक सूचना अधिकारी,न.पा.नि. इंदौर
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

पंजीयन क्रमांक 733

<u>मेयर–इन कौसिंल संकल्प क्रमांक 748 दिनांक 28–02–2013</u>

शहर में घर–घर से अपशिष्ट एकत्रिकरण व्यवस्था प्रारंभ करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1165 दिनांक 06–08–2012 पर स्वास्थ्य एवं चिकित्स समिति राय क्रमांक 35 दिनांक 14–.8–2012 पर विचार किया गया। निगम प्रस्ताव क्रमांक 51 दिनांक 09–08–2008 एवं मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्रमांक 835 दिनांक 10–09–2008 का अवलोकन किया गया।

S.NO.	CATEGORY	CHARGES PER MONTH
1	RESIDENTIAL FLAT / BANGLOW	40.00 / 50.00
2	DHABA	350.00
3	PAN SHOP	50.00
4	TEA SHOP	50.00
5	SHOPS (KIRANA, DAILY NEEDS, CLOTHS, ETC.)	200.00
6	VEGETABLE / FRUIT SHOP	100.00
7	SWEET SHOP	350.00
8	OFFICES (2 ROOMS)	100.00
9	OFFICES (3 - 5 ROOMS)	250.00
10	OFFICES (6 - 10 ROOMS)	1000.00
11	OFFICES (11 – 20 ROOMS)	2000.00
12	BANK & INSURANCE	500.00
13	PRIVATE PRIMARY SCHOOL	500.00
14	PRIVATE SECONDARY / HIGHER SECONDARY SCHOOL	1000.00
15	BAKRIES / CONFECNORIES	500.00
16	HOTEL / LODGEGING/ GUEST HOUSES UPTO 10 ROOMS	1000.00
17	HOTEL / LODGEGING/ GUEST HOUSES UPTO 11 TO 20 ROOMS	1500.00
18	HOTEL / LODGEGING/ GUEST HOUSES UPTO 21 TO 30 ROOMS	2000.00
19	HOTEL / LODGEGING/ GUEST HOUSES ABOVE 30 ROOMS	5000.00
20	FACTORIES	500.00
21	WORKSHOPS	550.00
22	RESTAURANT	1000.00
23	CINEMA HALL / MULTIPLEX PER HALL	1500.00
24	BANQUET HALL / STAR HOTEL/MARRIAGE GARDEN	5000.00 & 2000.00 PER TRIP FOR EXTRA TRIPS
25	ALL OTHER ESTABLISHMENTS	500.00

26	VEHICLE ON REQUEST / DEMAND	1500.00
27	STREET VENDORS	50.00
28	HEAVY VEHICLES PARKED ON THE ROAD	RS. 50.00 PER VEHICLE

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं हथालन नियम–2000 अनुसार घर–घर से अपशिष्ट एकत्रिकरण व्यवस्था प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार दरों पर अनुभवी, वित्तीय एवं तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ कंपनियों से टेण्डर आमंत्रित करने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है:–

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर / पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपी:–

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 734

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 749 दिनांक 28–02–2013

झोन कमांक 02 वार्ड कमांक 07 के अन्तर्गत कंडिलपुरा मेनरोड की वी.आय.पी. रोड से किराने की दुकान तक विधायक निधि से सीमेंटीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र कमांक 226/सी.ई./बिल्स/12–13 दिनांक 31.1.13 पर जनकार्य समिति की राय कमांक 229 दिनांक 8.2.13 पर विचार किया गया।

2- विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 20,00,000 /– की दिनांक 29–09–2012 को प्राप्त 4 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स ईशान डेव्हलपर्स द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 7.51 प्रतिशत कम करने पर राशि 1,50,200/– कम करने पर कुल राशि रूपये 18,49,800/– के कार्य की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय विधायक निधि मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित माणकस्तर एवं गुणवत्तापूर्ण होने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौसिंल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 735

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 750 दिनांक 28.02.2013

रीजनल पार्क में कार्यरत अस्थायी श्रमिक (मालि बेलदार,प्लम्बर,फव्वारा चालक,कारीगर राज) के करने संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 437 दिनांक 15–01–2013 पर प्रभारी विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्र.3264 दिनांक 13.02.2013 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में बगीचा रख–रखाव ,तालाब रख–रखाव सिविल मरम्मत कार्य, झाडों की देख–रेख कार्य,पौधें की छटाई,हरीघास का रखरखाव कार्य इत्यादि के लिए कोई अतिरिक्त श्रमिक नहीं होने से 25 दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिकों कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर 29–29 दिवस की अवधि पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 मार्च 2013 से दिनांक 31.7.2013 तक लिये गये कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर / पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक
दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 736

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 751 दिनांक 28.02.2013</u>

रीजनल पार्क में प्रायवेट फोटोग्राफर्स द्वारा की जाने वाली फोटोग्राफी हेतु शुल्क निर्धारित करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 682/री.पार्क दिनांक 26.10.2012 पर खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उद्यान समिति की राय क्र.72 दिनांक 21.3.2013 पर विचार किया गया। मेयर–इन–कौंसिल संकल्प क्र.378 दिनांक20.1.12 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में रीजनल पार्क में प्रायवेट फोटोग्राफर्स द्वारा की जाने वाली व्यवसायिक फोटोग्राफी हेतु वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित शूल्क राशि रूपये 1000/–(अक्षरी–राशि रूपये एक हजार सिर्फ)प्रतिमाह के मान से जमा कराने की स्वीृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 737

<u>मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 752 दिनांक 28.02.2013</u>

विभाग द्वारा संचालित वाहनों पर मस्टर ड्रायवर एवं श्रमिक रखने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3315 दिनांक 26–10–2013 पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में शहर की सतत साफ–सफाई व्यवस्था के क्रम में चलाए जाने वाले अतिरिक्त वाहनों तथा आवश्यकता अनुसार द्वितीय शिफ्ट के लिए लायसेंसधारी वाहन चालकों की आवश्यकता के दृष्टिगत 30 लायसेंसधारी दैनिक वेतन भोगी (कुशल मस्टर वाहन चालक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर 29–29 दिवस की अवधि पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 मार्च 2013 से दिनांक 31.7.2013 तक लिये गये कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर / पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 738

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 753 दिनांक 28.02.2013

नगर सौदयीकरण अंतर्गत विभिन्न 52 फीडर रोड़ डिवाईडर पौधोरोपण क्षेत्र की सिंचाई हेतु 5 टैंकर रखने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 1.12.2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में नगर सौदर्यीकरण अंतर्गत विभिन्न 52 फीडर रोड़ डिवाईडर पौधारोपण क्षेत्र की नियमित सिंचाई हेतु पूर्व से उपलब्ध दो टेंकर के अतिरिक्त 5 टेंकर (3 ट्रेक्टर टेंकर व 2 बड़े टेंकर) सिंचाई हेतु मेयर–इन–कौंसिल संकल्प द्वारा स्वीकृत जलयंत्रालय विभाग में निर्धारित दर पर दिनांक 01 मार्च 2013 से दिनांक 01 जून 2013 तक किराये पर लगाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।
3. कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक   दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 739

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 754 दिनांक 28.02.2013

जायंट्स ग्रुप ऑफ इन्दौर को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 29.09.2011 पर विचार किया गया।

जायंट्स ग्रुप आफॅ इन्दौर द्वारा प्रस्तुत पत्र अनुसार इनकी सामाजिक संस्था को निगम द्वारा सन 1778 में रविन्द्र नाट्य गृह परिसर में 305.06 स्के. फीट का हॉल कार्यालय हेतु मासिक किराया पर दिया गया था। रविन्द्र नाट्य गृह के कायाकल्प के समय तत्कालीन आयुक्त के इस आश्वासन

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में नगर सौदर्यीकरण अंतर्गत विभिन्न 52 फीडर रोड़ डिवाईडर पौधारोपण क्षेत्र की नियमित सिंचाई हेतु पूर्व से उपलब्ध दो टेंकर के अतिरिक्त 5 टेंकर (3 ट्रेक्टर टेंकर व 2 बड़े टेंकर) सिंचाई हेतु मेयर–इन–कौंसिल संकल्प द्वारा स्वीकृत जलयंत्रालय विभाग में निर्धारित दर पर दिनांक 01 मार्च 2013 से दिनांक 01 जून 2013 तक किराये पर लगाये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

3. कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक
दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 740

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 755 दिनांक 28–02–2013

विभिन्न त्यौहारों/उत्सवों पर अस्थाई रूप से सीसीटीवी केमरें लगाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2614 दिनांक 01.12.2012 पर प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 80 दिनांक 03–12–2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में विभिन्न त्यौहारों/उत्सवों पर अस्थाई रूप से आवश्यकतानुसार शहर के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी केमरे लगाने हेतु दिनांक 15.11.2012 को प्राप्त 03 निविदाओं पर निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स सुखमणि सेफ्टी सोल्युशन द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित दरों की स्वीकृति दी जाती हैः–

अ.क्र.	विवरण	मात्रा	न्यूनतम स्वीकृत दरें
1	सीसीटी व्ही कैमरा 1/3 सोनी, 600 टी.वी.एल, 36 एल. ई.डी., नाईटविजन, सीमा 20 मीटर, वातारण रोधी।	1 1 नग प्रतिदन	850 =00
2	डी.वी.आर. स्टेण्ड अलोन, 4 चैनल, 500 जी.बी. हाईडिक्स, एच. 264 रियल टाईम, व्ही.जी.ए.डी. डी.एन. एस. मल्टी चैनल प्लेबेक, यू.एस.बी. बेकअप	1 नग प्रतिदन	1575 =00
3	15 इंच टीएफटी स्क्रि, वीजिए, विडियों पोर्ट।	1 नग प्रतिदन	1500 =00
4	पब्लिक ऐड्रैस सिस्टम 60 वॉट 2 स्पीकर एक एमप्लीफायर 100 वॉट, एक माईक।	1 नग प्रतिदन	975 =00
5	वायफॉय ऐंटिना, 5 किमिटर रेंज।	1 नग प्रतिदन	10,500 =00
6	हाई स्पीड डोम कैमरा 22 एक्सझोम पीटीझेड वेदरप्रूफ डेनाईट।	1 नग प्रतिदन	2500=00

उपरोक्त दरों पर 7 प्रतिशत त्मइंजम देय होगी। विभिन्न त्यौहारों/उत्सवों पर अस्थाई रूप से आवश्यकतानुसार सीसीटीवी केमरें लगाने हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

3. सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए निगम प्रांगण, कंट्रोल रूम, महापौर /आयुक्त कार्यालय निगम के अन्य प्रमुख कार्यालय में सीसीटीवी केमरे लगाने हेतु नियमानुसार निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 741

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 756 दिनांक 28–02–2013

झोन कमांक 10 वार्ड क्रमांक 45 के अन्तर्गत गीताभवन मंदिर के आगे चौराहे पर प्रवेश द्वार का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र कमांक 233/सी.ई./बिल्स/12–13 दिनांक 18.2.13 पर पर विचार किया गया।

2- विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 24,84,160 /– की तकनिकी,शासकीय एवं निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है। जनसहयोग के रूप में पूर्व से निगम में जमा राशि रूपये 1,11,001/–प्राप्त की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौसिंल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट

   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 742

मेयर–इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 757 दिनांक 28.02.2013

अवैध से वैध किये जाने वाले नल संयोजन की दरों को कम करने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 12–02–2013 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में वर्ष 2012–13 बजट में अवैध नल संयोजन को वैध करने हेतु कुल शुल्क राशि रूपये 13,700/– (शुल्क राशि रूपये 2525/– व 6 माह का जलकर राशि रूपये 1200/– तथा दण्ड़ राशि रूपये 10,000/) लेना प्रावधानित है यह राशि अधिक होने से अवैध से वैध नल संयोजन कराने वालों की संख्या में कमी आई है। नल संयोजन वैध कराने हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने तथा निगम के नियमित उपभोक्ता एवं वैध नल कनेक्शन वृद्धि करने के दृष्टिगत दण्ड़ राशि रूपये 10,000/– से मुक्तकर पूर्व अनुसार राशि रूपये 3725/– (अक्षरी–राशि रूपये तीन हजार सात सौ मात्र) में नल कनेक्शन वैध करने की स्वीकृति तथा घोषित मलिन बस्ती में रहने वाले रहवासियों की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अवैध नल संयोजन को वैध करने हेतु शुल्क राशि रूपये 1200/– (अक्षरी– राशि रूपये एक हजार दौ सौ मात्र) एवं नवीन जल संयोजन देने हेतु राशि रूपये 1000/– (अक्षरी– राशि रूपये एक हजार मात्र) की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

3. नल संयोजन अवैध से वैध करते समय संबंधित भवन अथवा सम्पत्ति पर जलकर की राशि पूर्व से बकाया नहीं है यह सुनिश्चित किया जावे। मलिन बस्ती में नवीन नल संयोजन अथवा अवैध से वैध नल संयोजन घोषित मलिन बस्ती की सूची में बस्ती होने संबंधी संबंधित क्षेत्र के झोनल अधिकारी के प्रमाणीकरण उपरान्त ही कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौसिंल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपीः–

1. आयुक्त, संलग्न–एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
   की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर